सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
"प्रमुख प्रावधान"

* सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के गठन का उद्देश्य प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में संवर्धन करना, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग तथा राज्य लोक सूचना आयोग का गठन करना, तथा नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करना है।
* RTI act 2005 जम्मू व कश्मीर राज्य के सिवाय पूरे भारत पर लागू है।
* धारा 2 (च) में सूचना की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार "सूचना से किसी रूप में कोई एसी सामग्री, जिसके अंतर्गत किसी इलेक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री और किसी प्रायवेट निकाय से संबंधित एसी सूचना सम्मिलित है, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है, अभिप्रेत है।"
* "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार अभिप्रेत है—

(1) कतिपय दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
(2) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;
(3) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;
(4) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहाँ एसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित की जाती है, अभिप्राप्त करना

* सभी नागरिकों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सूचना का अधिकार प्राप्त है।
* कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी, हिन्दी या क्षेत्र में प्रचलित राजभाषा में, निर्धारित शुल्क के साथ यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करेगा।

Scanned by CamScanner

* लोक सूचना अधिकारी अधिकतम 30 दिनों के मध्य, जीवन व स्वतंत्रता सम्बन्धी मामलों में 48 घंटे के भीतर, सूचना उपलब्ध कराएंगे। समस्त सार्वजनिक विभाग, सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्थाएं व शिक्षण संस्थान आदि भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं।
* यदि लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है या तय समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है अथवा भ्रामक या असत्य जानकारी देता है तो उसे इस कार्यलोप हेतु 250₹ प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
* आवेदक से सूचना माँगने का कारण नहीं पूछा जाएगा।
* धारा 8 में इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना के प्रकटन से छूट सम्बन्धी जानकारी का विवरण दिया गया है।
* केन्द्र सरकार द्वारा RTI 2005 के अंतर्गत आवेदन शुल्क 10₹ रखा है, कुछ राज्यों में BPL कार्डधारियों इसे निःशुल्क भी रखा गया है।
दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति हेतु 2₹ प्रति A×4 पेज दर निर्धारित है कुछ राज्यों में यदि तय समय सीमा में राज्य जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाता है, तो इसे निःशुल्क देने का भी प्रावधान किया गया है।
* यदि माँगी गई सूचना का सम्बन्ध किसी अन्य सम्बन्धित विभाग से होने पर अधिकतम समय सीमा 35 दिन की होगी।
* लोक सूचना अधिकारी की शिकायत सीधे आयोग से की जा सकती है।
* RTI Act 2005 के अध्याय 3 धारा 12 में केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
* अधिनियम के अध्याय 4 धारा 15 में राज्य सूचना आयोग के गठन तथा संरचना सम्बन्धी प्रावधान किए गए हैं।
* धारा 18 अध्याय 5 में केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के कृत्य एवम् शक्तियों का वर्णन किया गया है।
* इन आयोगों को भी सिविल न्यायालय के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं।

Scanned by CamScanner

* अधिनियम की धारा 19 में अपीलीय प्रावधानों को स्थान दिया गया है। किसी विनिश्चय से व्यथित व्यक्ति प्रथम अपील प्रत्येक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति के अधिकारी को 30 दिन के भीतर कर सकेगा तथा द्वितीय अपील नब्बे दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग अथवा केन्द्रीय सूचना आयोग यथास्थिति को होगी।

* धारा 21 में सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान किया गया है।

* समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। (धारा 27)

<u>नोट</u> :- केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का विस्तृत वर्णन अलग शीर्षक में किया है। अतः उसे देखें।

Scanned by CamScanner